न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक अपील 120–एक/89 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–6–1989 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण क्रमांक 123/86–87/अपील.

दुर्गालाल पिता जालाजी कुलमी
निवासी ग्राम धरोला
तहसील नलखेड़ा परगना सुसनेर
जिला शाजापुर .....अपीलार्थी

विरूद्ध

1– भेरूलाल आत्मज उंकारलाल कुलमी
2– किशनलाल आत्मज उंकारलाल कुलमी मृतक वारिसान
(अ) कन्हैयालाल आत्मज किशनलाल
(ब) रामकरण आत्मज किशनलाल
(स) गणपत आत्मज किशनलाल
3– ललिताबाई पुत्री किशनलाल
4– चन्दरबाई पत्नी किशनलाल
निवासीगण ग्राम धरोला
तहसील नलखेड़ा परगना सुसनेर
जिला शाजापुर .....प्रत्यर्थीगण

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अपीलार्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/10/16 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–6–1989 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अपीलार्थी की ओर से अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में भी अपील प्रस्तुत की गई है । चूंकि संहिता में अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध

तृतीय अपील प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान नहीं है, इसलिए न्यायहित में अपील को निगरानी में परिवर्तित किया जाकर प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है । अतः आगे अपीलार्थी का आवेदक एवं प्रत्यर्थीगण को अनावेदकगण कहा जायेगा ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार, टप्पा नलखेड़ा के समक्ष संहिता की धारा 116 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम धरोला स्थित सर्वे कमांक 1525 रकबा 2.508 हेक्टेयर भूमि भेरू एवं किशन के नाम से दर्ज है, उक्त भूमि पर वह कृषि कार्य कर रहा है । पूर्व में उक्त भूमि पर उसका कब्जा दर्ज रहा है, परन्तु बाद में पटवारी द्वारा कब्जा दर्ज नहीं किया गया है, अतः कब्जा दर्ज किया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 12/अ–6–ए/80–81 दर्ज कर दिनांक 1–8–81 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, सुसनेर नलखेड़ा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–1–87 को आदेश पारित किया जाकर नायब तहसीलदार का आदेश स्थिर रखते हुए प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 12–6–1989 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह तृतीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया गया कि पिछले अनेक वर्षों से आवेदक प्रश्नाधीन भूमि पर कृषि कार्य कर रहा है, ऐसी स्थिति में उसका कब्जा दर्ज करने का आदेश देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये थे, जिनमें हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा इस आधार पर अपील स्वीकार की गई है कि 6 वर्ष से अधिक का कब्जा दर्ज नहीं किया जा सकता है, जबकि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 7 के अंतर्गत पक्षकार द्वारा जितनी सहायता चाही गई है, उतनी ही सहायता दी जा सकती है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के वारिसान के विरूद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि केवल घास काट लेने मात्र से किसी व्यक्ति को प्रश्नाधीन भूमि पर काबिज नहीं माना जायेगा, और आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि से घास काटे जाने के आधार पर कृषि कार्य करना बतलाते हुए अपना कब्जा बतलाया गया है । इसके अतिरिक्त व्यवहार न्यायालय द्वारा भी प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा मान्य नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–6–1989 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर